A. **पासपोर्ट की सामान्य जानकारी**

1. आवेदक को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर जमा करना होगा। होगा। इस यूआर एल https://embassy.passportindia.gov.in/ के जरिए आवेदन फॉर्म भरा जा सकता है।
2. पासपोर्ट सेवाओं के लिए सभी आवेदन चाहे वो नया पासपोर्ट, समाप्तिया हानि/ चोरी/ क्षति पर पासपोर्ट को फिर से जारी करना, मौजूदा पासपोर्ट में प्रविष्टियों में परिवर्तन (जिसमेंपूर्ण/ आंशिक नाम आंशिक नाम परिवर्तन सहित, नाम-उपनाम का बंटवारा, शादी के बाद नाम बदलना, उपस्थिति में परिवर्तन, जन्म तिथि में परिवर्तन, जन्म स्थान में परिवर्तन, लिंग में परिवर्तन, मौजूदा पासपोर्ट पुस्तिका पुस्तिका में पृष्ठों के हस्ताक्षर में परिवर्तन, सभी पृष्ठों की समाप्ति होतो) के वलइसीलिंक के माध्यम से माध्यम से किए जाएंगे।
3. यदि पासपोर्ट की अंतिम वैधता एक वर्ष से कम हो या मौजूदा विवरणों में परिवर्तन हो तो आवेदक नए नए पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है।
4. कृपया ध्यान दें कि भारतीय माता-पिता से पैदा हुई संतान का जन्म पंजीकरण जन्म के एक वर्ष के भीतर वाणिज्य दूतावास में किया जाना चाहिए, अन्यथा संतान को पासपोर्ट जारी करने में देरी होगी। होगी।

B. **अवदान कौन कर सकता है:**

1. भारतीय नागरिक जो लोम्बार्डी, पिडमोंट, ऑस्टावैली, ट्रेंटिनो-आल्टो एडिज, फ्रीली वेनेज़िया गिउलिया, वेनेटो, लिगुरियाऔर एमिलिया-रोमाग्ना के क्षेत्रों में रहनेवाले हैं वो मिलान में स्तिथ भारत भारत के महावाणिज्य दूतावास में डाक द्वारा पासपोर्ट सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।

C. **आवेदन कैसे करें:**

आवेदन केवल पोस्टल मोड द्वारा भेजे जा सकते हैं । तैयार पासपोर्ट की वापसी के लिए प्री पेड स्व-संबोधित लिफाफा डाकआवेदन के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। यह डाक मोड निम्नलिखित में से कोई भी हो सकता है: है:

1. **डी एच एल कूरियर (समर्पित लिंक के लिए यहां Click here)**

(ऑनलाइन उपलब्ध विवरणों को सही ढंग से भरें और ऑनलाइन भुगतान के बाद, दो एयरवेबिल उत्पन्न उत्पन्न होंगेऔरआपकेद्वारा दी गयी ईमेल पर प्राप्त होंगे:

a. पहला एयरवे बिल/शिपमेंट लेबल/ANDATA और प्रतिलिपि।
b. दूसरा एयरवे बिल/ रिटर्नशिपमेंट लेबल / RITORNO और प्रतिलिपि।

डी एच एल के लिफाफे पर ANDATA संलग्न करें और दस्तावेजों के साथ RITORNO लिफाफे में संलग्न करें।

2. **पोस्ट इटालियन**।

(Busta Pre-affrancata Posta Raccomandata, A5 size)
*पुराने पासपोर्ट रद्द करऔर नए तैयार पासपोर्ट की वापसी के लिएBusta Pre-affrancata Posta Posta Raccomandata लिफाफे के नमूने के लिए यहांClick here।

D. **शुल्कभुगतान:**

सेवाओं के समक्ष लागू शुल्क का विस्तृत विवरण दिया गया है।शुल्क केवल भारत केम हावाणिज्य दूतावास के पक्ष पक्ष
में बैंक या डाकघर से डिमांड ड्राफ्ट (Assegno Circolare) के रूप में प्रस्तुत किया जान चाहिए।

E. ऑनलाइनअवदानपत्रभरनेकेदिशा-निर्देश

a. दिये गए इस लिंक पर ऑनलाइन अवदान पात्र भरे https://embassy.passportindia.gov.in/, और अवदान पत्र का प्रिंटआउट ले । कृप्या अवदान पात्र को अत्यंत सावधानी से भरे और सही जानकारी जानकारी प्रदान करे।आवेदन पत्र में चार पृष्ठ होते हैं।

b. पासपोर्ट अवदान पत्र को ठीक उसी प्रकार से भरा होना चाहिए जो आपके पहले मौजदा पासपोर्ट पासपोर्ट में हो(कुछ वांछित परिवर्तन के मामले को छोड़कर)। मौजूदा पासपोर्ट में किसी भी प्रकार के सुधार हो तो जरूरी दस्तावेजों के साथ समर्थित होना चाहिए।

c. पहलेऔरआखरी पेज पर दिए कोलोम में निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करें (दिए (दिए गए स्थान के भीतर) । आवेदन पर सभी हस्ताक्षर नीले या काले स्याही के बॉल प्वाइंट पेन से पेन से होने चाहिए और काले होने चाहिए। जो लोगअपने हस्ताक्षर/अनपढ़ नहीं जोड़ सकते, उन्हें उन्हें हस्ताक्षर के स्थान पर अपनेअंगूठे का निशान लगाना चाहिए।

   I. पुरुषकेमामलेमेंबाएंहाथकेअंगूठेकानिशान।
   II. महिलाकेमामलेमेंदाहिनेहाथकेअंगूठेकानिशान।

d. किये गए हस्ताक्षर उनके मौजूदा पासपोर्ट में हस्ताक्षर के साथ मेल खाने चाहिए। यदि आवेदक आवेदक हस्ताक्षर बदलना चाहता है ,तो वह ऐसा कर सकता है।

   i. उस स्थिति में, आवेदन पत्र के पहले पेज पर प्रदान किए गए बॉक्स में नए हस्ताक्षर किए हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
   ii. और, नए और साथ ही पुराने हस्ताक्षर अंतिम पेज पर किए जाने चाहिए । (पिछले पेज पर दिए दिए गए बॉक्स में नए हस्ताक्षर और लाइन के नीचे खाली जगह पर पुराने हस्ताक्षर)।

e. आवेदन पर दो हालिया नयी रंगीन फोटो लगाएं ।फोटो विनिर्देशों के लिए यहां क्लिक करें। दो हालिया फोटो (3 महीने से अधिक पुरानी न हो) ,आवेदन पर चिपकाई जानी चाहिए।

   i. आवेदन पत्र के पहले पेज पर दिए गए स्थान पर फोटो चिपकाए।
   ii. घोषणा भाग के बाद आवेदन पत्र केचौथे / अंतिम पेज पर उपलब्ध रिक्त स्थान पर दूसरी फोटो फोटो चिपकाए।

F. <u>उपस्थितिमेंपरिवर्तन:</u>यदि उपलब्ध पासपोर्ट पर फोटो की तुलना में आवेदक की उपस्थिति में बड़ा परिवर्तन होता परिवर्तन होता
है, (यहआयु या पगड़ी के कारण हो सकता है), तो उपस्थिति में परिवर्तन के लिए शपथ पत्र प्रदान करना अनिवार्य अनिवार्य
है, शपथ पत्र के लिए यहां[Click here]।

G. आवेदन पत्र में अपना ईमेल आई डी और संपर्क नंबर साँझा करना अनिवार्य है ताकि पत्राचारया कम दस्तावेजों दस्तावेजों
के मामले में संपर्क किया जा सके।

H. आवेदकों को जाँच के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ वाणिज्य दूतावास में बुलाया जा सकता है।

I. a.वयस्क व्यक्ति के लिए आवेदन।
b. नाबालिगों के लिए आवेदन।
c. नवजन्मे आवेदक के लिए आवेदन।
d.गुम /क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के लिए आवेदन।
e. नाम/उपनाम के बंटवारे के लिए आवेदन।
f. नाम बदलने के लिए आवेदन।
g. शादी/तलाक के बाद पति या पत्नी के नाम के चढ़ाने या हटाने के लिए आवेदन

J.पासपोर्टसेवाऔरआवश्यकदस्तावेज:

सं नंबर	सेवा श्रेणी	चेक लिस्ट
1)	वयस्कों के संबंध में पासपोर्ट जारी करना	1. विधिवत रूप से ऑनलाइन भरा हुआ और हस्ताक्षरित पासपोर्ट आवेदन पत्र (https://embassy.passportindia.gov.in/) 2. दो फोटो (5 सेमी x 5 सेमी) फोटो विनिर्देशों के लिए यहां Click करें। 3. मूल पासपोर्ट के साथ स्वयं हस्तक्षेप किये गए पासपोर्ट की कोपी के कोपी के उचित पृष्ठ (पहला, अंतिम और उचित पृष्ठ प्रस्तुत करें । करें । 4. आवेदक के वैध Permesso Di Soggiorno की कानूनी कॉपी ।यह कॉपी कोम्यून द्वारा कानूनी रूप से अटेस्ट होने जरूरी है **(copia conforme**)। 5. यदि सोगिओर्नो की वैधता पहले ही समाप्त हो चुकी है, तो उसके नवीकरण के लिए दी गयी रसीद की एक स्पष्ट कॉपी दी जानी चाहिए। 6. मूल और स्व-सत्यापित फोटो कॉपी या वैधया समाप्त हो चुके कार्टा कार्टा डी इडेंटीटा(carta d' identita) की वैध कॉपी (copia legalizzata), या कोई भी सबूत जैसे के बिजली/ पानी /ईधन का बिल या फिर किराये के घर के समझौते के दस्तावेज , ओसपिति के दस्तावेज (अंग्रेजी मेंअनुवाद कर) प्रस्तुत करें। 7. यदि लागू हो ,तो उपस्थिति परिवर्तन के लिए शपथ पत्र (शपथ पत्र पत्र के लिए यहां Click here)। **8. शुल्क विवरण:** a. सामान्य पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए (36 पृष्ठ) **a)** 62 Euros: उपस्थिति में परिवर्तन के बिना। b) 87 Euros :उपस्थिति में परिवर्तन के लिए शपथपत्र के के साथ आवेदन के लिए, जब पासपोर्ट एक वर्ष से अधिक समय के लिए वैध हो। b. जंबो पासपोर्ट के लिए शुल्क (60 पृष्ठ) **a)** 77 Euros: उपस्थिति में परिवर्तन के बिना। **b)** 102 Euros: उपस्थिति में परिवर्तन के लिए शपथपत्र के के साथ आवेदन के लिए, जब पासपोर्ट एक वर्ष से अधिक समय के लिए वैध हो ।

2	नाबालिगों के संबंध में पासपोर्टका फिर से जारी: जारी: 18 वर्षसेकमआयुकेबच्चे।	1. विधिवत रूप से ऑनलाइन भरा हुआ और हस्ताक्षरित पासपोर्ट आवेदन पत्र। (https://embassy.passportindia.gov.in/) 2. दो फोटो (5 सेमी x 5 सेमी) फोटो विनिर्देशों के लिए यहां Click करें। 3. नाबालिगआवेदक का मूल पासपोर्ट और संबंधित पृष्ठों की स्पष्ट स्पष्ट कॉपिया (माता-पिता द्वारा सत्यापित) । 4. यदि उपलब्ध होतो ,नाबालिग आवेदक के पेरमेसो डी सोगिओर्नो की कॉपी । (माता-पिता दोनों द्वारा हस्ताक्षरित) । 5. प्रासंगिक पृष्ठों के साथ माता-पिता दोनों के पासपोर्ट की स्पष्ट कॉपी कॉपी (पहले, अंतिमऔर उचित पृष्ठ, माता-पिताद्वाराआत्म-सत्यापित)। 6. माता-पिता दोनों के Permesso di Soggiorno की स्पष्ट कॉपी।माता-कॉपी।माता-पिता के सोगिओर्नो की कॉपी कोम्यून (copia conforme) द्वारा वैध होनी चाहिए। 7. यदि सोगिओर्नो की वैधता पहले ही समाप्त हो चुकी है, तो इसके नवीकरण के लिए रसीद की एक स्पष्ट कॉपी भी प्रस्तुत करनी होगी होगी (माता-पिता द्वारा आत्म-सत्यापित)। 8. माता-पिता के पते के प्रमाण(कार्टा डी आईडेंटिटा या किसी अन्य अन्य प्रमाण जैसे कोई भी सबूत बिजली/ पानी /ईधन का बिल या फिर किराये के घर के समझौते के दस्तावेज , ओसपिति के दस्तावेज (अंग्रेजी मेंअनुवाद कर) प्रस्तुत करें। (माता-पिताद्वाराआत्म-सत्यापित) । 9. नाबालिग के पासपोर्ट का आवेदन करने के लिए माता-पिता दोनों द्वारा घोषणा पत्र (Annexure D के लिए यहांClick here)। 10. **शुल्क:** a) 42 Euors (आयु15 वर्ष से कम)। b) 62 Euors (आयु 15 वर्ष से ज्यादा)।
3)	नाबालिगों / नवजन्मों के लिए नया पासपोर्ट	1. विधिवतरूपसे ऑनलाइन भराहुआऔरहस्ताक्षरितपासपोर्टआवेदनपत्र।https://embassy.pass passportindia.gov.in/) 9. दो फोटो (5 सेमी x 5 सेमी) फोटो विनिर्देशों के लिए यहां Click करें। 2. नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 4 (1) के तहत भारती वाणिज्य दूतावास में नाबालिग बच्चे के जन्म का पंजी करण' श्रेणी श्रेणी के तहत ऑनलाइन अवदान पत्र भरें (https://indiancitizenshiponline.nic.in/) । जन्मपंजी करण फार्म फार्म का प्रिंट आउट ले और दोनों माता-पिता द्वारा दो बार प्रदान प्रदान की गई जगह में हस्ताक्षर कर बाद में प्रस्तुत करें। 3. कोमुने से जारी जन्मप्रमाण पत्र की मूलऔर स्पष्ट फोटो कॉपी (यदि (यदि इटली में पैदा हुई) या तो बहु भाषीया अंग्रेजी में अनुवाद के साथ,बच्चे का नाम, जन्मतिथि, जन्मस्थान, नवजात शिशु का लिंग और माता-पिता दोनों के नाम होना चाहिए (माता-पिताद्वाराआत्म-सत्यापित)।अगर बचे का जन्म इटली से बहार हुआ हो तो उस देश देश की कौंसल दूतावास सेअटेस्ट होने के उपरांत प्रेफेटूरा से

		अपपोस्टिले हो ये जन्मप्रमाण पत्र की कॉपी। 4. अगर हे तो ,बच्चे के वैध Permesso Di Soggiorno की स्पष्ट कॉपी कॉपी (माता-पिता द्वारा आत्म-सत्यापित)। 5. प्रासंगिक पृष्ठों के साथ माता-पिता दोनों के पासपोर्ट की स्पष्ट कॉपी कॉपी (पहले, अंतिमऔर उचित पृष्ठ, माता-पिताद्वाराआत्म-सत्यापित)। 6. माता-पिता दोनों के Permesso di Soggiorno की स्पष्ट कॉपी । माता-पिता के सोगिओर्नो की कॉपी कोम्यून (copia conforme) द्वारा वैध होनी चाहिए। 7. यदि सोगिओर्नो की वैधता पहले ही समाप्त हो चुकी है, तो इसके नवीकरण के लिए रसीद की एक स्पष्ट कॉपी भी प्रस्तुत करनी होगी होगी 8. माता-पिता के पते के प्रमाण(कार्टा डी आईडेंटिटा या किसी अन्य अन्य प्रमाण जैसे कोई भी सबूत बिजली/ पानी /ईधन का बिल या फिर किराये के घर के समझौते के दस्तावेज , ओसपिति के दस्तावेज (अंग्रेजी मेंअनुवाद कर) प्रस्तुत करें। (माता-पिताद्वाराआत्म-सत्यापित) । 9. माता- पिता के विवाह प्रमाण पत्र की स्पष्ट कॉपी(स्वअभिप्रमाणित)। कॉपी(स्वअभिप्रमाणित)। 10. नाबालिग के पासपोर्ट का आवेदन करने के लिए माता-पिता दोनों द्वारा घोषणा पत्र (Annexure D केलिएयहांClick here)। 11. यदि जन्म के एक वर्ष के भीतर बच्चे का जन्म पंजीकृत नहीं किया किया गए हो, तो जन्म के पंजीकरण में देरी का कारण, लिखित रूप में, आवश्यक है और दोनों माता-पिता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, **शुल्क:63 Euros(पासपोर्ट और जन्म पंजीकरण**।
4)	गुम/क्षतिग्रस्तपासपोर्टकेब टकेबदलेमें	1. विधिवत रूप से ऑनलाइन भरा और हस्ताक्षरित किया हुआ पासपोर्टआवेदनपत्र।https://embassy.passportindia.gov.in/) 2. दो फोटो (5 सेमी x 5 सेमी) फोटो विनिर्देशों के लिए यहां Click करें। 3. पासपोर्ट की संबंधित प्रुष्ठ (पहले, अंतिम, वीजा और समर्थन पृष्ठ) की पृष्ठ) की स्पष्ट कोपिया(स्व-सत्यापित)। 4. अंग्रेजी में अनुवाद होई पुलिस रिपोर्ट जिसमे गुमशुदा पासपोर्ट का का नंबर होना जरूरी है। 5. आवेदक के वैध Permesso Di Soggiorno की कानूनी कॉपी ।यह कॉपी कोम्यून द्वारा कानूनी रूप से अटेस्ट होने जरूरी है **(copia conforme**)। 6. यदि सोगिओर्नो की वैधता पहले ही समाप्त हो चुकी है, तो उसके नवीकरण के लिए रसीद की एक स्पष्ट कॉपी संलग्न की जानी चाहिए। चाहिए। 7. आवेदक के पते का प्रमाण की स्पष्ट कॉपी(कार्टा डी आईडेंटिटा या या किसी अन्य प्रमाण जैसे किसी भी उपयोगिता बिल-बिजली /पानी/ /पानी/ ईंधन बिल या किराया समझौते, ओस्पिटी का अंग्रेजी में

		अनुवाद) प्रस्तुत करनी होगी (स्वअभिप्रमाणित)। 8. खोए हुए पासपोर्ट के बदले पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए लिए विधिवत रूप से भरा गया घोषणा पत्र 'एनेक्सचर एफ'(एनेक्सचर एफ के लिए Click here) 9. पूरी तरह से भरा गया पी पी फॉर्म (व्यक्तिगत विवरण)की दो कॉपी कॉपी और नवीनतम फोटोग्राफ के साथ(पी पी फॉर्म के लिए Click Click here) 10. यदि हो तो ,उपस्थिति परिवर्तन के लिए शपथ पत्र (शपथ पत्र के के लिए यहां Click here)। 11. **शुल्क विवरण:** a.सामान्य पासपोर्ट के लिए (36 पृष्ठ) **a.** 112 Euros: उपस्थिति में परिवर्तन के बिना। **b.** 137 Euros : उपस्थिति में परिवर्तन के लिए शपथपत्र के साथ आवेदन के लिए, जब पासपोर्ट एक वर्ष से अधिक समय के लिए वैध हो**।** b. जंबो पासपोर्ट के लिए शुल्क (60 पृष्ठ) **a.** 132 Euros: उपस्थिति में परिवर्तन के बिना। **b.** 157 Euros: उपस्थिति में परिवर्तन के लिए शपथपत्र के साथ आवेदन के लिए, जब पासपोर्ट एक वर्ष से अधिक समय के लिए वैध हो**।**
5)	नाम/उपनाम का विभाजित	1. विधिवत रूप से ऑनलाइन भरा और हस्ताक्षरित किया हुआ पासपोर्टआवेदनपत्र।https://embassy.passportindia.gov.in/) 2. दो फोटो (5 सेमी x 5 सेमी) फोटो विनिर्देशों के लिए यहां Click करें। 3. मूल पासपोर्ट के साथ स्वयं हस्तक्षेप किये गए पासपोर्ट की कोपी के कोपी के उचित पृष्ठ (नाम और पते के साथ पहला और अंतिम पृष्ठ पृष्ठ प्रस्तुत करें । 4. आवेदक के वैध निवास परमिट की कानूनी प्रति। a) यदि आवेदक के पास पेरमेसो डि सोगिओर्नो है: इस की कॉपी कानूनी तोर पर कम्युने से अटेस्ट होनी जरूरीहै(**copiaconforme)**। जरूरीहै(**copiaconforme)**। यदि सोगिओर्नो की वैधता पहले ही समाप्त हो चुकी है, तो उसके नवीकरण के लिए दी गयी रसीद की एक स्पष्ट कॉपी दी जानी चाहिए। b) यदि आवेदक के पास पर्मेसो डी सोग्गोर्नो नहीं है; निम्नलिखित प्रस्तुत किया जाना चाहिए: i) रिश्तेदारों के (a) पासपोर्ट,(b) परमेसो डी सोगिओर्नो, (C) कार्टा डी इडेंटिटा की स्पष्ट प्रतियाँ, जिसके परिवार वीजा पर आवेदक यहाँ पहुंचा । । ii) संबंध को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेजी प्रमाण होना

		चाहिए, जैसे विवाह प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाण पत्र आदि। 5. यदि हो तो ,उपस्थिति परिवर्तन के लिए शपथ पत्र (शपथ पत्र के के लिए यहां Click here)। **6. शुल्क विवरण:** सामान्य पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए (36 पृष्ठ) a) 62 Euros: उपस्थिति में परिवर्तन के बिना। b) 87 Euros :उपस्थिति में परिवर्तन के लिए शपथपत्र के साथ आवेदन के लिए, जब पासपोर्ट एक वर्ष सेअधिक समय के लिए वैध हो। जंबो पासपोर्ट के लिए शुल्क (60 पृष्ठ) c) 77 Euros: उपस्थिति में परिवर्तन के बिना। d) 102 Euros: उपस्थिति में परिवर्तन के लिए शपथ पत्र के साथ आवेदन के लिए, जब पासपोर्ट एक वर्ष से अधिक समय के लिए वैध हो।
6)	नाम में परिवर्तन के लिए पासपोर्ट को फिर से जारी	उपरोक्त श्रेणियों के अनुसार दस्तावेज़ समान ही रहेंगे, इसके अलावा निम्नलिखित सहायक दस्तावेज़ प्रदान किए जाने चाहिए। 1. नाम बदलने के लिए शपथ पत्र(नमूने के लिए click here) 2. भारत के दो दैनिक समाचार पत्रों में किसी भी 'राष्ट्रीय दैनिक' और इटली में इटली में एक नाम बदलने के लिए समाचार पत्र का विज्ञापन होना चाहिए । चाहिए । मूल समाचार पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए, विज्ञापन एक वर्ष से वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। 3. भारत में अधिकारियों द्वारा वांछित नाम से जारी किए गए दो दस्तावेज। 4. पर्मेसो डी सोग्गोर्नो इसइलीमैटाटा के मामले में, इटली के स्थानीय अधिकारियों द्वारा वांछित नाम में जारी किए गए दो दस्तावेज। 5. **शुल्क विवरण:** सामान्य पासपोर्ट के लिए (36 पृष्ठ) a) 87 Euros: उपस्थिति में परिवर्तन के बिना। b)112 Euros :उपस्थिति में परिवर्तन के लिए शपथपत्र के साथ आवेदन के लिए, जब पासपोर्ट एक वर्ष सेअधिक समय के लिए वैध हो। जंबो पासपोर्ट के लिए शुल्क (60 पृष्ठ) c) 102 Euros: उपस्थिति में परिवर्तन के बिना। d) 127 Euros: उपस्थिति में परिवर्तन के लिए शपथ पत्र के साथ आवेदन के लिए, जब पासपोर्ट एक वर्ष से अधिक समय के लिए वैध हो।
7)	शादी/तलाक के बाद पति या पत्नी के नाम के चढ़ाने चढ़ाने या हटाने के लिए पासपोर्ट को फिर से जारी	उपरोक्त श्रेणियों के अनुसार दस्तावेज़ समान ही रहेंगे, इसके अलावा निम्नलिखित सहायक दस्तावेज़ प्रदान किए जाने चाहिए। **1.पासपोर्ट पर पत्ती / पत्नी का नाम शामिल करने के लिए:** विवाह प्रमाण पत्र (आत्म-सत्यापित) की स्पष्ट प्रति। यदि इटली की की कम्युने में विवाह की रसम पूरी की गयी हो तो ,विवाह का प्रमाण पत्र प्रेफेटूरा से अपपोस्टिल होना चाहिए और उसका अंग्रेजी में अनुवाद

		अनुवाद होने जरूरी है।अगर विवाह किसी ओर देश में सम्पन हुआ हो तो विवाह प्रमाण पत्र अंग्रेजी में ,संबंधित भारतीय उच्चायोग / दूतावास / दूतावास / वाणिज्य दूतावास से प्रमाणित किया होना चाहिए। **2. पासपोर्ट से पत्ती या पत्नी का नाम हटाने के मामले में:** विदेश मंत्रालय भारत द्वारा तलाक के लिए संबंधित न्यायालय से "तलाक की की डिक्री" की स्पष्ट प्रति। यदि आदेश इटली में जारी किया गया हो तो हो तो प्रेफेटूरा से अप्पोस्तिले करवा कर उसका अंग्रेजी में अनुवाद अनिवार्य है। **3.शुल्क विवरण:** सामान्य पासपोर्ट के लिए (36 पृष्ठ) a) 62Euros: उपस्थिति में परिवर्तन के बिना। b)87 Euros :उपस्थिति में परिवर्तन के लिए शपथपत्र के साथ आवेदन के लिए, जब पासपोर्ट एक वर्ष सेअधिक समय के लिए वैध हो। जंबो पासपोर्ट के लिए शुल्क (60 पृष्ठ) c) 77 Euros: उपस्थिति में परिवर्तन के बिना। d) 102 Euros: उपस्थिति में परिवर्तन के लिए शपथ पत्र के साथ आवेदन के लिए, जब पासपोर्ट एक वर्ष से अधिक समय के लिए वैध हो।